तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निग/टीए/3882/2005/हनुमानगढ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री सोहनपालसिंह वकील प्रार्थीगण
श्री प्रदीप बिश्नोई वकील अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः.28.11.18

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रकरण संख्या 6/05 में पारित निर्णय दिनांक 27.7.2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रार्थीगण ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के समक्ष चक 2 बी.पी.एम व 5 बी.डब्ल्यू.एम. की विवादित आराजीयात के संबंध में अधिनियम की धारा 88 व 183 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। उक्त वाद साक्ष्य वादी में चल रहा था एवं दिनांक 13.2.2004 को वादी व वकील वादी के उपस्थित नहीं होने वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वादी प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 10.3.2005 से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसके विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 27.7.2005 से खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दिया था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को देखे बिना एवं साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने को आधार मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो अनुचित है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है कि वादी के वकील का देहान्त हो गया था जिसकी सूचना वादीगण को नहीं दी गई। वादीगण ग्रामीण परिवेश के काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं जिन्हें वकील ने प्रत्येक पेशी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निग/टीए/3882/2005/हनुमानगढ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर उपस्थित नहीं होने होते एवं आवश्यक होने पर सूचना देकर बुलाने हेतु निर्देश दे रखा था तथा वादीगण की माताजी बीमार होने से वादीगण उनकी देखभाल में लगे रहे जिससे न्यायालय के उपस्थित नहीं हो सके। वादीगण प्रार्थीगण अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये परन्तु उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। 6 माह से अधिक समय तक वादीगण द्वारा अपने वकील से सम्पर्क नहीं किया जाना असम्भव है। माताजी की बीमार का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का भी कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है। जिससे वाद को उचित रूप से खारिज किया गया है एवं अब पुनः नम्बर पर लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। वकील का देहावसान हो जाने पर अन्य वकील उपस्थित होते रहे हैं। अतः निगरानी खारिज की जावे। हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.2.2004 को वादी व वकील वादी के अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया है। वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. का दिनांक 3.3.04 को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो अन्दर अवधि प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि वादी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु साक्ष्य नहीं करवाए है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.8.03 की आदेशिका में वकील वादी के निधन के कारण आगामी पेशी दी गई है। इसके बाद की पेशियों दिनांक 12.9.03, 17.10.03, 7.11.03, 28.11. 03, 19.4.03, 23.1.04 को वकुलाय फरीकेन उपस्थित अंकित कर पत्रवली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की जाती रही है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि जब वादी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निग/टीए/3882/2005/हनुमानगढ**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील का निधन हो गया तो अन्य वकील कौन उपस्थित हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा वादी को सूचना दी जाना नहीं पाया जाता है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. अन्दर अवधि प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थीगण ने स्वंय को ग्रामीण परिवेश के काश्तकार पेशा व्यक्ति होना एवं उनकी माताजी के बीमार होने आदि का कथन किया है तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तत्पर होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में रूपये 1500/– कोस्ट पर वादी प्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना उचित समझते हैं। वादी दो पेशियों पर अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करें। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, रावतसर का आदेश दिनांक 10.3.05 निरस्त किया जाता है। वादी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी. पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, रावतसर का आदेश दिनांक 13.2.2004 निरस्त किया जाता हैं तथा वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी प्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर रूपये 1500/– की कोस्ट पर दिया जाता है। कोस्ट राशि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी को अदा की जावे। वादीगण अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य विचारण न्यायालय में दो पेशियों पर प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोडूदान देथा)** **सदस्य**	